

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-एफ०(४)-३/२०१९ दिनांक शिमला-२ ४ अप्रैल, २०२२.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-४(१), नियम-७ तथा नियम ८(२) व (३) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम ४. पात्रता: (१) वृद्धावस्था पेंशन:-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जायेगी।

नियम ७. पेंशन / भत्ता की दरें:-

- (I) ६०-६९ आयु वर्ग के पुरुषों और ६०-६४ आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, १०००/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (II) ६५-६९ आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, ११५०/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (III) ७० वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, १७००/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (४०-६९ प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक ०१.०४.२०२२ से पेंशन/भत्ता, ११५०/-रु० प्रति माह देय होगा।
- (V) ७० प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक ०१.०४.२०२२ से १७००/-रु० प्रति माह देय होगा।
- (VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजैण्डर पेंशनरों को दिनांक ०१.०४.२०२२ से भत्ता/पेंशन १०००/-रु० प्रति माह देय होगी।

Cont..../2


४/५/२२

: 2 :

नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात् ऐसे सभी वर्ग जिनके लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।


आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांक संख्या: :एस0जे0ई0बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 **8 अप्रैल** 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमालैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।


उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।